निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 210/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बाबूलाल पुत्र रामकिशोर जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ललित कुमार मीण आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. हबीब खान पुत्र बशीर खान जाति मुसलमान, निवासी 2260, तकिया यकीन शाह तोप खाना हजूरी, जयपुर।
3. मूलचन्द पुत्र रामगोपाल
4. राधेश्याम पुत्र रामगोपाल
5. सूरज पुत्र रामगोपाल
6. हरिनारायण पुत्र रामगोपाल
7. लादूराम पुत्र रामगोपाल

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

मुख्य अप्रार्थीगण

8. सियाराम पुत्र राम किशोर जाति जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

तरतीबी अप्रार्थी

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 122/2024 ब उनवानी बाबूलाल बनाम हबीब खान व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुमन कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.11.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 122/2024 ब उनवानी बाबूलाल बनाम हबीब खान व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई । अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमन कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन होना मान कर खसरा नम्बर 230 व 233 की लगती हुई मेड पर मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। दिनांक 18.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी॰पी॰सी॰ सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश किया गया तथा अनुतोष चाहा कि आदेश दिनांक 25.09.2024 में खसरा नम्बर 233 पर जारी स्टे को खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या1 जो कि राजनैतिक पहुंचा वाला व्यक्ति है जिसकी राजनैतिक पहुंच के चलते वह ग्राम के लोगों से यह कहता रहता है कि मेरी अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत हो गई है और आगामी पेशी दिनांक 24.10.2024 को उक्त आदेश को खारिज करवा लूंगा। जब अप्रर्थी संख्या 1 ही अन्य अप्रार्थीगण में मिल गये है तो प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है । ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में ट्रान्सफर किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी प्रारर्थी द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है जिसे अनावश्यक लम्बा चलाने के उद्वेश्य से उक्त वाद के निस्तारण में देरीना किये जाने की नीयत से झूंठे, काल्पिनिक व मनघढन्त तथ्य अंकित कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना व सम्बन्ध सरोकार नही है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा की जा रही कार्यवाही पूर्णत विधिक प्रकिया के तहत की जा रही है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है और अब प्रार्थी ही पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर की गई है। जिससे प्रार्थी की प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विरूद्व है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)